क्रमांक – 61

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग–दो

गुरूवार, दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 (अग्रहायण 10, 1944)

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों के रक्षण के लिये पारित छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधित) विधेयक, 2022 को संविधान की अनुसूची–9 में सम्मिलित करने संबंधी शासकीय संकल्प

संकल्प

दिसम्बर, 2022 सत्र में माननीय श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

''यह सदन राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों के रक्षण के लिये पारित छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधित) विधेयक, 2022 को संविधान की अनुसूची–9 में सम्मिलित करने के लिये भारत सरकार को आवश्यक कदम उठाने हेतु अनुरोध करता है।''

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा